

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 198 वी बैठक दिनांक 02.08.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लिया:-

1. श्री विष्णुचरण मलिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती नलिनी कटोटिया, अति. आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्री राजेन्द्र शर्मा, अति. आयुक्त (पी.आर.एन.), जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती आशा अवरथी, वरिष्ठ नगर नियोजक,(एमपी) व बीपीसी(एलपी) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री मूलचन्द, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री तेजाराम चौधरी, उपायुक्त, जोन-16, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमति नीतु बारूपाल, उपायुक्त, जोन-17, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री ओंकार मल सैनी, उपायुक्त, जोन-18, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री अशोक कुमार शर्मा, उपायुक्त, जोन-19, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी(एलपी), जविप्रा, जयपुर।
9. श्री गोपाल लाल सैनी, उप नगर नियोजक, पृथ्वीराज नगर, जविप्रा, जयपुर।
10. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसंपर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।


एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या-1

198 / 02.08.2013

विषय :- बीपीसी(एलपी) बैठक क्रमांक 198वी बैठक दिनांक 02.08.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन।

बी.पी.सी.(एल.पी.) की 198 वी प्ररनगत बैठक के आयोजन के समय, बीपीसी (एल.पी) की 197 वी बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन थे जो कि क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी) / बीपीसी/2013/डी-180 दिनांक 12.08.2013 को जारी किये जा चुके हैं।



एजेण्डा संख्या-2

198/02.08.2013 (मा.प्लान)

विषय :- सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

सेक्टर प्लान्स की प्रगति रिपोर्ट तालिका के रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि सेक्टर प्लान्स की प्रगति रिपोर्ट की तालिका बनाकर संबंधित जोन का व मुख्य भू-उपयोगों का विवरण भी दिया जावे, ताकि इनकी प्रगति हेतु संबंधित को अग्रिम निर्देश दिये जा सकें।

एजेण्डा संख्या-3

198/02.08.2013 (मा.प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-75 के अनुमोदन बाबत।

प्रारूप सेक्टर प्लान-75 के अनुमोदन हेतु एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् पत्रावली अन्डर सबमीशन होने के कारण इसे स्थगित रखा गया।

एजेण्डा संख्या-4

198/02.08.2013 (मा.प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-56 बी के अनुमोदन बाबत।

प्रारूप सेक्टर प्लान-56 बी के अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-5

198/02.08.2013 (मा.प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-69 के अनुमोदन बाबत।

आगरा रोड के दक्षिण में प्रस्तावित हैरिटेज सिटी (नया जयपुर) व उसके समीपवर्ती क्षेत्र का प्रारूप सेक्टर प्लान-69 अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष रखा गया। प्रारूप सेक्टर प्लान पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रारूप सेक्टर प्लान-69 के अन्तर्गत आने वाली हैरिटेज सिटी व उसके आस-पास के क्षेत्र को अलग-अलग स्वरूप व विशेषता होने के कारण भाग ए व बी दो पार्ट में दर्शाया जावे ताकि दोनों भाग में अलग-अलग भवन विनियम/ मानदण्ड लागू किये जा सकें। हैरिटेज सिटी में कुछ अनियोजित क्षेत्र भी शामिल है। अतः इसके नियोजन हेतु भी हैरिटेज प्रकोष्ठ द्वारा अलग से मानदण्ड तय किये जावे।

हैरिटेज सिटी क्षेत्र के लिए मानदण्ड तय करने के संबंध में जविप्रा की हैरिटेज प्रकोष्ठ को अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गये। संबंधित जोन उपायुक्त को भी हैरिटेज सिटी के बारे में अध्ययन कर सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् पुनः बीपीसी (एल.पी.) में प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।



एजेण्डा संख्या-6

198/02.08.2013 (मा.प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-73 के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया। सेक्टर प्लान 73 में अधिकांश भाग विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र का है। अतः इस नियोजित क्षेत्र के अलावा, शेष क्षेत्र में 80' फीट व 80' फीट से अधिक चौड़ी सड़को पर जविप्रा के आदेश क्रमांक: जविप्रा/अआ/पूर्व/पुनर्वास/ 2003/डी-210 दिनांक 31.03.04 के अनुसार सेक्टर कॉमर्शियल दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।

इस क्षेत्र में मल्होत्रा नगर में 36 मीटर सड़क अनुमोदित की गई थी, परन्तु मास्टर विकास योजना-2025 में इस सड़क की चौड़ाई 24 मीटर दर्शाई गई है, जबकि मौके पर 10 से 12 मीटर तक ही सड़क उपलब्ध है। अतः विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस सड़क को मल्होत्रा नगर के अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुसार 36 मीटर व शेष भाग में सड़क मार्गाधिकार 24 मीटर रखा जावें।

एजेण्डा संख्या-7

198/02.08.2013 (मा.प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-74 के अनुमोदन बाबत।

प्रारूप सेक्टर प्लान-74 के अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष रखा गया। इस क्षेत्र में सघन आबादी वाला पहाड़ी क्षेत्र होने से तथा जल महल व पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र होने के कारण विस्तृत परीक्षण करने हेतु प्रकरण स्थगित रखा गया।

एजेण्डा संख्या-8

198/02.08.2013 (मा.प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-76 के अनुमोदन बाबत।


प्रारूप सेक्टर प्लान-76 के अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रारूप सेक्टर प्लान के अनुमोदन को स्थगित रखा गया।

एजेण्डा संख्या-9

198/02.08.2013 (मा.प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-77 के अनुमोदन बाबत।

आगरा रोड़ के उत्तर में स्थित ग्रीन सिटी (नया जयपुर) व समीपवर्ती क्षेत्र का प्रारूप सेक्टर प्लान-77 अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष रखा गया। विचार विमर्श पश्चात् ग्रीन सिटी व समीपवर्ती क्षेत्र को भाग ए व बी के रूप में दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया। इस उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् पुनः बीपीसी (एल.पी.) में प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।



एजेण्डा संख्या-10

198/02.08.2013 (मा.प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-73 के अनुमोदन बाबत।

प्रारूप सेक्टर प्लान-78 के अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रारूप सेक्टर प्लान के अनुमोदन को स्थगित रखा गया।

एजेण्डा संख्या-11

198/02.08.2013 (मा.प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-79 के अनुमोदन बाबत।

प्रारूप सेक्टर प्लान-79 के अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् 80' फीट व 80' फीट से अधिक चौड़ी सड़को पर जविप्रा के आदेश क्रमांक: जविप्रा/अआ/पूर्व/पुनर्वास/ 2003/डी-210 दिनांक 31.03.04 के अनुसार सेक्टर कॉमर्शियल दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया व प्रारूप सेक्टर प्लान-79 का अनुमोदन स्वीकृत किया गया।

एजेण्डा संख्या-12

198/02.08.2013 (जोन-8)

विषय :- निजी खातेदारी भूमि के एकल पट्टे के अनुमोदन के संदर्भ में नीति निर्धारण बाबत।

विचार विमर्श पश्चात् नीतिगत निर्णय लिया गया कि निजी खातेदारी की भूमि में से गुजरने वाली सेक्टर रोड/मास्टर प्लान रोड को जोन द्वारा खसरा प्लान पर सुपरइम्पोज कर प्रमाणित किया जावे, ताकि एक बार क्षेत्र विशेष में मार्गाधिकार व एलाइमेंट तय होने पर तदनुरूप ही बाद में प्राप्त होने वाले प्रकरणों की जाँच की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि तय एलाइमेंट अनुसार मौके पर सड़क का डिर्माकेशन करवाया जावे। एकल पट्टे से प्रभावित सभी सड़को की भूमि खातेदार से समर्पित कराकर जोन द्वारा विधिवत कब्जा प्राप्त कर लिया जावे।

एजेण्डा संख्या-13

198/02.08.2013 (जोन-8)

विषय :- सेक्टर प्लान की स्वीकृत 24.0 मीटर सड़क को विलोपित करने के संबंध में।

प्रस्तावित भूमि में से दो सड़कें व एच.टी.लाईन गुजर रही हैं। एक ही स्वामी के सीमित क्षेत्र में एक से अधिक सड़कें प्रस्ताव व एच.टी.लाईन में भूमि जाने से अधिकांश भाग निर्माण योग्य नहीं रहने के कारण प्रार्थी द्वारा सड़क के विलोपन हेतु निवेदन किया गया है। अतः विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा यह परीक्षण कर लिया जावे कि यह दोनों सड़कें व एच.टी. लाईन इसी खातेदार की भूमि में से जा रही हैं अथवा अन्य खातेदार की भूमि में से जा रही हैं, इस हेतु जोन द्वारा परीक्षण किया जावे।

यह भी निर्णय लिया गया कि 24 मीटर सेक्टर सड़क के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करेंगे व प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर टिप्पणी सहित एजेण्डा बीपीसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

एजेण्डा संख्या-14

198/02.08.2013 (जोन-10)

विषय :- ग्रुप हाउसिंग योजना के अनुमोदन एवं सेक्टर 34-35 में 60'फीट चौड़ी सड़क की स्थिति परिवर्तन के संबंध में।

- (अ) प्रश्नगत प्रकरण पूर्व में बीपीसी (एल.पी.) की 193 वीं बैठक दिनांक 17.05.13 में रखा गया था जिसमें सेक्टर प्लान की 60' सड़क की स्थिति परिवर्तन के संबंध में जोन स्तर पर आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर आम जनता से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः प्रकरण पुनः समिति के समक्ष रखा गया। ग्रुप हाउसिंग के एकल पट्टे की स्वीकृति हेतु प्रकरण पृथक से राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे। अतः सेक्टर प्लान में 60' सड़क प्रार्थी की भूमि के मध्य से गुजरती है। इस 60' सड़क को प्रार्थी की भूमि के मध्ये के बजाय 60' सड़क को भूखण्ड के छोर पर रखे जाने का निर्णय लिया गया।
- (ब) 60' सड़क की स्थिति परिवर्तन किये जाने की स्थिति में यह सड़क पूर्व व पश्चिम की ओर 80 फीट सड़क से मिलती है। अतः एजेण्डा में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई को भी 80' रखते हुए 60' सड़क प्रार्थी की भूमि में से व 20' सड़क दक्षिण दिशा में स्थित खातेदार की भूमि में से लिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः इस प्रस्तावित संशोधन पर विज्ञप्ति जारी कर आम जनता से 15 दिवस की अवधि में 20' अतिरिक्त भूमि के परिपेक्ष में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर लिये जावे। तत्पश्चात आपत्ति/सुझाव का परीक्षण कर बीपीसी के समक्ष रखा जाये।

एजेण्डा संख्या-15

198/02.08.2013 (जोन-17)

विषय :- पृथ्वीराज नगर योजना जोन-17 में अनुमोदित सेक्टर सड़को में मौके की स्थिति के अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए एकीकृत मानचित्र व नवीन रोड़ नेटवर्क प्लान का अनुमोदन बाबत।

प्रकरण जोन-17 के एकीकृत मानचित्र एवं नवीन रोड़ नेटवर्क प्लान में निम्न सड़को के आंशिक संशोधन के साथ विचार विमर्श कर अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

——

ब्लॉक – सी

- (अ) 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे के पश्चिम की ओर सिरसी रोड (160 फीट चौड़ी सड़क) का एलाइमेंट मौका स्थिति अनुसार प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी रखा जावे।
- (ब) 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे के पश्चिम की ओर वेशाली मार्ग (बजरी मंडी रोड) 24 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड का एलाइमेंट मौका स्थिति अनुसार प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी रखा जावे।
- (स) 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे के पश्चिम की ओर आम्रपाली मार्ग 24 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड का एलाइमेंट मौका स्थिति अनुसार प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी रखा जावे।

ब्लॉक – डी

- (अ) 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे के पश्चिम की ओर कान्हा विहार को जाने वाली 18 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड का एलाइमेंट मौका स्थिति अनुसार प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी रखा जावे।
- (ब) 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे के पश्चिम की ओर गैस गोदाम को जाने वाली 12 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड का एलाइमेंट पीडब्ल्यूसी की 05/2013-14वीं बैठक दिनांक 01.08.2013 में अनुमोदित योजना ग्राम गिरधारीपुरा की प्लानिंग के अनुसार रखा जावे।
- (स) 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे के पश्चिम की ओर (महाराणा प्रताप रोड) जाने वाली 18 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड का एलाइमेंट मौका स्थिति अनुसार प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी रखा जावे।

ब्लॉक – ई

- (अ) अजमेर रोड से धावास गांव को जाने वाली 18 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड का एलाइमेंट मौका स्थिति अनुसार प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी रखा जावे।
- (ब) अजमेर रोड से रजनी विहार को जाने वाली 24 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड का एलाइमेंट मौका स्थिति अनुसार प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी रखा जावे।

एजेण्डा संख्या-16

198/02.08.2013 (जोन-18)

विषय :- पृथ्वीराज नगर योजना जोन-18 में अनुमोदित सेक्टर सड़कों में मौके की स्थिति के अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए एकीकृत मानचित्र व नवीन रोड नेटवर्क प्लान का अनुमोदन।

प्रकरण जोन-18 के एकीकृत मानचित्र व नवीन रोड नेटवर्क प्लान में निम्न सड़कों के आंशिक संशोधन के साथ विचार विमर्श कर अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

ब्लॉक – एच

- (अ) ग्राम मांग्यावास शमशान घाट के सामने से गुजरने वाली 24 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड का एलाइमेंट मौका स्थिति अनुसार प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी रखा जावे।



- (ब) गोल्यावास सर्किल से राधा निकुंज सर्किल को जाने वाली 60 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड का एलाईमेंट वर्ष 2002 के अनुमोदित रोड नेटवर्क प्लान के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 20164/2012 दिनांक 20.12.2012 के अध्याधीन रहेगा।

एजेण्डा संख्या-17

198/02.08.2013 (जोन-19)

विषय :- पृथ्वीराज नगर योजना जोन-19 में अनुमोदित सेक्टर सड़कों में मौके की स्थिति के अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए एकीकृत मानचित्र व नवीन रोड नेटवर्क प्लान का अनुमोदन।

प्रकरण जोन-19 के एकीकृत मानचित्र व नवीन रोड नेटवर्क प्लान में निम्न सड़कों के आंशिक संशोधन के साथ विचार विमर्श कर अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

क्र. सं.	सड़कों का नाम	निर्णय
1.	30 मीटर सेक्टर सड़क, जो पटेल मार्ग के सामने से जाती है।	इस सड़क के अनुमोदित सेक्टर सड़क प्लान के एलाईमेंट व मौके पर विद्यमान सड़क के एलाईमेंट में अन्तर है। अतः सड़क निर्माण का गति प्रदान करने की दृष्टि से निर्णय लिया गया कि मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य लाईन निर्धारित की जावें व मध्य लाईन से दोनों ओर बराबर भूमि लेते हुए सड़क का एलाईमेंट निश्चित किया जावें।
2.	18 मीटर सेक्टर सड़क, जो चतुर्वेदी फार्म से ममता रेजीडेन्सी के पश्चिम से जाती है।	उपरोक्तानुसार।
3.	24 मीटर सेक्टर सड़क, जो एच.टी.लाईन से प्रजापति विहार के पश्चिम में से जाती है।	उपरोक्तानुसार।
4.	30 मीटर सेक्टर सड़क, जो एच.टी.लाईन से उत्तर दिशा में जाती है।	उपरोक्तानुसार।
5.	60 मीटर न्यू सांगानेर रोड	बीपीसी की 181वीं बैठक के अनुसार हाउसिंग बोर्ड/रीको की बाउण्ड्रीवाल से 200 फीट सेक्टर रोड निर्धारित किया जावें।
6.	24 मीटर सेक्टर सड़क जो इस्कॉन रोड से निकलकर बी-2 बाईपास रोड को जोड़ती है।	इसका निर्णय बीपीसी (एलपी) बैठक क्रमांक 195 दिनांक 09.07.2013 में लिये गये निर्णयानुसार किया जावें।
7.	60 मीटर सेक्टर सड़क जो बी-2 बाईपास के सामने से राधा निकुंज सर्किल को जोड़ती है।	यातायात की सुगमता के लिए बी-2 बाईपास की सेन्टर लाईन को उक्त 60 मीटर सेक्टर सड़क को सेन्टर लाईन मानकर राधा निकुंज सर्किल तक उक्त एलाईमेंट को प्रस्तावित संशोधन अनुसार स्वीकार किया



		जावें।
8.	18/24 मीटर सेक्टर सड़क जो राजावत फार्म के दक्षिण से जाने वाली 60 मीटर सेक्टर सड़क से मिलती है।	इस सड़क के अनुमोदित सेक्टर सड़क प्लान के एलाईमेंट व मौके पर विद्यमान सड़क के एलाईमेंट में अन्तर है। अतः सड़क निर्माण की गति प्रदान करने की दृष्टि से निर्णय लिया गया कि मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य लाईन निर्धारित की जावें व मध्य लाईन से दोनों ओर बराबर भूमि लेते हुए सड़क का एलाईमेंट निश्चित किया जावें।
9.	18 मीटर सेक्टर सड़क जो इस्कॉन रोड से निकलकर पश्चिम दिशा में स्थित अन्य योजना को जोड़ती है।	उपरोक्तानुसार।
10.	18 मीटर सेक्टर सड़क जो न्यू सांगानेर सड़क से निकलकर पी.आर.एन. सीमा से बाहर जाती है।	उपरोक्तानुसार।

- (2) 24 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड जो ग्राम गोल्यावास श्मशान के पूर्व में से दक्षिण दिशा में पत्रकार कॉलोनी को जाने वाली सड़क को वर्ष 2012 के अनुमोदित रोड नेटवर्क प्लान के अनुसार ही रखा जावे।
- (3) 18 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड जो राजावत फार्म के दक्षिण में स्थित 60 मीटर सेक्टर सड़क से निकलकर सुन्दर नगर योजना से गुजरती है को वर्ष 2012 के अनुमोदित रोड नेटवर्क प्लान के अनुसार ही रखा जावे।
- (4) 60 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड जो न्यू सांगानेर रोड से निकल कर नवकार नगर व अन्य योजनाओं को पार करके पश्चिम दिशा की ओर जाती है को वर्ष 2012 के अनुमोदित रोड नेटवर्क प्लान के अनुसार ही रखा जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1

198/02.08.2013 (जोन-16)

विषय :- पृथ्वीराज नगर योजना जोन-16 में अनुमोदित सेक्टर सड़कों में मौके की स्थिति के अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए एकीकृत मानचित्र व नवीन रोड नेटवर्क प्लान का अनुमोदन।

प्रकरण जोन-16 के एकीकृत मानचित्र व नवीन रोड नेटवर्क प्लान में निम्न सड़कों के आंशिक संशोधन के साथ विचार विमर्श कर अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

ब्लॉक - ए

- (अ) कालवाड़ रोड के दक्षिण की ओर 18 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड जो रूप नगर कॉलोनी के भूखण्डों के आगे मौके पर बनी सड़क अतिरिक्त भूमि के रूप में रहती है; और दूसरी तरफ


हनुमान वाटिका विस्तार के भूखण्ड सेक्टर रोड की सीमा में आ रहे हैं, अतः अतिरिक्त भूमि को सड़क क्षेत्र में शामिल किया जावे।

- (ब) गोकुलपुरा गांव से कालवाड की तरफ जाने वाली 24 मीटर सेक्टर रोड को मौके के अनुसार विद्यमान सड़क को प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी रखा जावे।

ब्लॉक – बी

- (अ) सिरसी रोड से कनकपुरा रेलवे स्टेशन से पहले के फाटक के बीच की 30 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड को मौके पर निर्मित सड़क को सम्मिलित किया जावे।
- (ब) एक्सप्रेस हाईवे के रेलवे लाईन के समान्तर दक्षिण की ओर 30 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड को रेलवे सीमा के साथ साथ निर्मित सड़क को शामिल करते हुये 30 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड किया जावे।


बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


सदस्य सचिव 16-8-13
भवन मानचित्र समिति,
एवं अति.मु.न.नियोजक
(मा.प्लान/बीपीसी (एल. पी.))

क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.)/बीपीसी/2013/डी-183
दिनांक: 16/8/13

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी.), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त, जोन-.....जविप्रा, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


सदस्य सचिव 16-8-13
भवन मानचित्र समिति,
एवं अति.मु.न.नियोजक
(मा.प्लान/बीपीसी (एल. पी.))